FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम अलवर

उनवान **इकबाल** बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर **15/19/2023 दा0दि0 27.01.2023**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14.02.2023	पत्रावली आज वकील प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। प्रकरण में थानाधिकारी तिजारा की रिपोर्ट प्राप्त है। शा0मि0 की गयी। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गयी। थानाधिकारी ने अपने पत्रांक 759 दिनांक 12.02.2023 के द्वारा रिपोर्ट में निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 नम्बर आर.जे. 40 जी.ए. 3420 मॉडल 2019 को नियमानुसार सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो को कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 नम्बर आर.जे. 40 जी.ए. 3420 मॉडल 2019 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000/– (पांच लाख रूपये मात्र/–) तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें, तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। 1. प्रार्थी वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा। 2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा पूर्व से नियत दिनांक 14.03.2023 को पेश हों। **जिला कलक्टर** **अलवर**	

17/08/23

वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने निर्धारित राशि के जमानतनामा मुचलकानामा पेश किये। प्रा० तस्दीक कर शामिल पत्रावली किये। पत्रावली में [illegible] की वाहन सुपुर्दगी पर देने बाबत आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)